

संख्या ए-49012/8/2023/आरटीआई/1076-77

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
आरटीआई सेल

5वीं मंजिल (एन), सीडब्ल्यूसी
सेवा भवन, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066

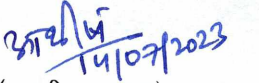
दिनांक: 12.07.2023

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आरटीआई आवेदन श्री राधे श्याम (एडवोकेट)
लॉरेंस चेम्बर, ब्लॉक 3, दिल्ली उच्च न्यालय, नई दिल्ली।

उपरोक्त आरटीआई आवेदन की प्रति रजि. संख्या शून्य दिनांक 07/07/2023 को RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आपको अग्रेषित किया जाता है।

आपसे अनुरोध है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आवेदक को सीधे वांछित जानकारी प्रदान करें। यदि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी किसी अन्य सीपीआईओ या किसी अन्य मंत्रालय/विभाग (विभागों), से संबंधित है तो यह आवेदन उन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

अनुलग्नक:- उपरोक्त के अनुसार


(आशीष कुमार)

उप निदेशक एवं नोडल अधिकारी
दूरभाष: 011-2958 3304

सेवा में,

1. निदेशक और सीपीआईओ, (अभिकल्प एवं अनुसंधान समन्वय निदेशालय), केन्द्रीय जल आयोग, दूसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली। (e-mail- dredtc@nic.in)
2. निर्देशक और सीपीआईओ, (जल आयोजन एवं परियोजना समन्वय निदेशालय), केन्द्रीय जल आयोग, तीसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली (e-mail- wppcdte@nic.in)
3. उप निदेशक-2 और सीपीआईओ, (नदी प्रबन्ध समन्वय निदेशालय), केन्द्रीय जल आयोग, दूसरा तल, सेवा भवन, नई दिल्ली (e-mail- rmdte@nic.com)
4. अवर सचिव और सीपीआईओ, (Estt- I, II, III, V, VI, O&M & CM&V), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

श्री राधे श्याम (एडवोकेट) लॉरेंस चेम्बर, ब्लॉक 3, दिल्ली उच्च न्यालय, नई दिल्ली।

सेवा में,

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (नोडल)
केन्द्रीय जल आयोग
आर के पुरम, नई दिल्ली

chn - in nls
CE (HRM) - on leave
CE (HRM) 40 - on leave
Dy (CE - I)

विषय : सूचना के अधिकार 2005 के तहत निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध कराएं।

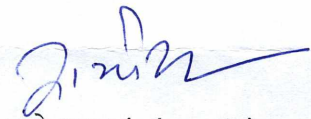
महोदय,

केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली के OM No 4/12/2012-CM&V/ दिनांक 5.10.2012 (प्रति संलग्न) के आलोक में निम्नलिखित अवगत कराएं :

1. हाल ही में project monitoring एवं project appraisal organisation में निदेशक और उप निदेशक का स्थानान्तरण आदेश निर्गत हुआ है , क्या यह आदेश उपरोक्त OM के अनुरूप है ? क्या ऐसा आदेश group B & C के लिए निकाले जाने चाहिए या नहीं ?
2. project monitoring एवं project appraisal organisation में निदेशक और उप निदेशक का स्थानान्तरण आदेश निर्गत हुआ है , क्या यह आदेश अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन से हुआ है ?
3. क्या ऐसा ही आदेश उपरोक्त OM में दर्शाए para 2 (b) और (c) के पदों के लिए भी निर्गत होंगे?
4. उपरोक्त OM के para 2 (c) में HQ स्थित Software management Dte (जहां साल में लगभग 4-5 करोड़ का खर्च किया जाता है) क्यों नहीं शामिल किया गया है?
5. Irrigation Planning तथा Hydrology units में पदस्थापित incumbents कितने दिनों से लगातार posted हैं ? कृपया विस्तृत व्योरा दें.
6. केन्द्रीय जल आयोग में सचिव पद का पदस्थपन कितने सालों के लिए होता है? तत्काल सचिव का tenure कब तक है ?
7. किसी दूसरे विभाग में deputation पर जाने का क्या नियम है? कितने अधिकारी एक साथ deputation पर जा सकते हैं?
8. केन्द्रीय जल आयोग के sensitive post का list उपलब्ध कराएं साथ ही इनके transfer पॉलिसी का तत्कालीन आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराएं ।
9. केन्द्रीय जल आयोग के कितने कार्यालयों में cash handling allowances दिया जा रहा है ?
10. पिछले दिनों NWDA में Deputy director deputation का आवेदन खारिज कर दिया गया और कुछ ही दिनों बाद NMCG में ED पोस्ट के लिए 5 आवेदन forward कर दिया गया । ऐसा क्यों ?

संलग्नक: १ आईपीओ संख्या 18 G 330104 dt 28.6.2023

२ OM No 4/12/2012-CM&V/ दिनांक 5.10.2012



राधे श्याम (advocate)

Lawyers chamber, Block 3

दिल्ली उच्च न्यालय

नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवेदनार्थ कार्यवाई हेतु :

1. चेयरमैन, केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली
2. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
3. श्री सुबोध यादव, संयुक्त सचिव, जल शक्ति मंत्रालय
4. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली



11/7/23
Sx Ashis Choudhary
11/7/23
50/ASO

Room No. 311(S), Sewa Bhawan
R. K. Puram, New Delhi.

Dated: 05th October 2012

Office Memorandum

Sub : Including posts under Monitoring and Appraisal Unit in the sensitive list for transfer/posting.

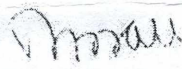
CVC and DoPT have issued instructions from time to time for making rotational transfers in respect of officials posted on sensitive posts at periodic interval. Such officials are rotated every two or three years. In CWC, **all the posts of DDOs, Superintending Engineers and Chief Engineers in field offices** are considered as sensitive posts **for the purpose of transfers and postings.**

2. The posts in CWC which are considered as sensitive posts were reviewed during the 183rd Commission meeting held on 11th September 2012 and it was decided to further include the following posts also in the list of sensitive posts for the purpose of transfers and postings :

- a) **Posts under Monitoring and Appraisal Units at headquarters and field offices.**
- b) **Posts under Irrigation Planning and Hydrology Units at Hqtr.**
- c) **Posts in PCP and RDC Dtes. at Hqtr.**

3. The transfers from the above posts shall be made after completion of 3 years as far as possible keeping in view the administrative/financial constraints.

4. The above decision of the Commission shall be followed by all concerned who issue transfer orders in respect of officials / officers in CWC.


(K. Vohra)
Secretary, CWC

To :

- 1. PPS to Member (RM / WP&P / D&R), CWC, New Delhi.
- 2. All Field Chief Engineers of CWC
- 3. All Directors / Superintending Engineers in field offices of CWC.
- 4. Under Secretary (Estt. I / Estt. II / Estt. III / Estt. V / Estt. VI), CWC, New Delhi.
- 5. Under Secretary, O&M, CWC, New Delhi [For their Guard File]
- 6. Guard file of CM & V Section.